BSES

दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए

14–15 को मेगा लोक अदालत, साकेत में

नई दिल्लीः 6 जनवरी, 2011। दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से, 14 और 15 जनवरी को जिला कोर्ट परिसर, साकेत में इसका आयोजन किया जाएगा। खास बात यह होगी कि इसमें 25 लाख रूपये तक के, बिजली चोरी के मामले निपटाए जाएंगे। मामला चाहे कटिया लगाकर बिजली चोरी करने का हो, या फिर मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी करने का– तमाम तरह के मामलों का यहां निपटारा किया जाएगा। बिजली चोरी के आम मामले तो यहां निपटाए ही जाएंगे, साथ ही, दिल्ली के किसी भी कोर्ट में विचाराधीन बिजली चोरी के मामलों का भी यहां निपटारा किया जा सकेगा। यह अदालत सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी।

उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को भी वहां भेज सकते हैं। अपने पहचान पत्र और चालान या जुर्माने की कॉपी भेजना आवश्यक है।

इस बार की मेगा लोक अदालत में भी उपभोक्ताओं की ओर से अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। वहां दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से कुल 12 अदालतें लगाई जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक मामलों का तत्काल निपटारा किया जा सके और उपभोक्ताओं को, जहां तक हो सके, परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीआरपीएल की ओर से 12 हेल्प डेस्क भी लगाए जाएंगे, जिनका प्रबंधन पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों की टीम करेगी। गौरतलब है कि पिछली चार लोक अदालतों में 6000 से अधिक मामले आए थे, जिनमें 93 प्रतिशत मामलों का निपटारा कोर्ट परिसर में ही तत्काल कर दिया गया था।

लोक अदालत में मामले निपटाने के बाद, तय रकम के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा। भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा।

दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, बीवाईपीएल के करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र / नोटिस भी भेज कर अनुरोध किया जा चुका है। इसके बीआरपीएल, रेडियो के लोकप्रिय एफएम चैनलों पर सूचनाएं भी प्रसारित करवा रही है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस मेगा लोक अदालत का फायदा उठा सकें।

बीआरपीएल के सीईओ श्री गोपाल सक्सेना के मुताबिक– प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है और बीएसईएस इस विचार को, अपने तमाम कार्यों में प्रमुखता से अमल में लाती है। इस पेपरलेस लोक अदालत में ए4 साइज के 30, 000 कागजों की बचत होने की उम्मीद है। यह चार पूर्ण विकसित पेड़ों को बचाने जैसा होगा। पिछले दो साल के दौरान आयोजित बीआरपीएल की चार लोक अदालतों में कुल 85,000 ए4 साइज पेपर्स की बचत हुई, जो 11 पूर्ण विकसित पेड़ों को बचाने के बराबर है।

बीआरपीएल और दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इस लोक अदालत को पेपरलेस बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। यह एक ग्रीन लोक अदालत होगी, जहां फाइलें इधर से उधर नहीं करनी पड़ेंगी और पूरा का पूरा डेटा माउस के एक क्लिक पर उपलब्ध होगा।

श्री गोपाल सक्सेना ने दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इससे उनके समय की बचत तो होगी ही, साथ ही कानूनी प्रक्रिया में पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। यानी, अदालतों के कई घंटे बचेंगे।

उनके मुताबिक– लोक अदालतें, देश में विवादों के निपटारे का एक प्रभावी व वैकल्पिक मंच बन गई हैं। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा तेजी से और कम खर्च में किया जा सकता है। इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं का फायदा होता है, वहीं अदालतों पर से मुकदमों क बोझ भी कम होता है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415 / 9350130304